पशु पालन संबंधी योजनाओं में कदाचार

1565. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में पशु-पालन संबंधी योजना में कदाचार होने की सूचना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कदाचारों में लिप्त पाये गये अधिकारी अभी भी कार्य कर रहे है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) पशु पालन एवं डेरी विभाग, कृषि मंत्रालय राज्य सरकारों के पशु पालन से सम्बन्धित योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामलों से सम्बन्धित जानकारी एकत्र नहीं करता। राज्य सरकारों के पशु पालन विभाग सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। फिर भी इस विभाग के यदि इस प्रकार की कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में नये कृषक सेवा केन्द्रों की स्थापना

1566. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में नये कृषक सेवा केन्द्रों की स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित किए थे;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन जिलों में स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था और अब तक किन-किन स्थानों पर ऐसे केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं ; और

(ग) गत वर्ष के दौरान इन केन्द्रों के माध्यम से किए गए कार्यों का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1983-84 से 1991-92 के दौरान 403 केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी क्षेत्र में 14 जिलों अर्थात् आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, फैजाबाद प्रतापगढ़, बाराबंकी तथा सुल्तानपुर के 81 ब्लाकों में कार्यान्वित की गई थी।

(ग) प्रत्येक केन्द्र द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्नलिखित थे (1) ऐसी फार्म मशीनरी को किराए पर देना जो फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, किन्तु अपने अधिक लागत तथा सीमित वार्षिक उपयोग की वजह से छोटे और सीमान्त किसानों की पहुंच के बाहर हो (2) फार्म मशीनरी का यथासमय रखरखाव और छोटी मोटी मरम्मत एवं कलपुर्जों तथा लुब्रीकेन्टों और प्रतिदिन उपयोग में आने वाले इंजीनियरी औजारों की बिक्री; तथा (3) कृषि उपस्करों, बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि कृषि आदानों की सप्लाई।

किसानों को सस्ती दरों पर कृषि उपकरणों की उपलब्धता

1567. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किसानों को सस्ती दरों पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार की इन योजनाओं के लाभ छोटे किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने प्लान योजना बनाई है जिसमें मुख्यतया छोटे और सीमान्त किसानों को कृषि औजारों पर सब्सिडी दी जाती है। ये योजनाएं हैं :—

(1) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम गेहूं।

(2) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम मक्का और कदन्न।

(3) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम।

(4) एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम।

(5) गहन कपास विकास कार्यक्रम।

(6) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।

(7) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम।

(8) कृषि में प्लास्टिक का उपयोग (ड्रिप-सिंचाई)।

(9) कृषि मशीनीकरण का प्रबंधन अभिज्ञात उन्नत यंत्रों, पादप रक्षण उपस्कर, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई उपस्करों, पावर टिलर और छोटे ट्रैक्टरों पर सब्सिडी उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में गन्ना खरीद केन्द्रों की स्थापना

1568. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें नकद भुगतान करने हेतु गुजरात में कितने गन्ना खरीद केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) इस समय गन्ने के मूल्य किस आधार पर तय किए जाते हैं; और

(ग) किसानों को तत्काल भुगतान किए जाने संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन न किए जाने के कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) गन्ने का सांविधिकन्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय इसकी उत्पादन लागत वैकल्पिक फसलों से कृषक को होने वाली आय; कृषि जिन्सों के मूल्यों के सामान्य रुख, उपभोक्ता को उचित दर पर चीनी की उपलब्धता, चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से निकली गई चीनी का बिक्री मूल्य और गन्ने से निकाली चीनी की मात्रा का समुचित ध्यान रखा जाता है।

(ग) गन्ना उत्पादकों को देय गन्ने की कीमतों की अदायगी सही समय पर कराने की जिम्मेदारी प्रथमतः राज्य सरकारों की है जिनके पास ऐसी अदायगी सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक शक्तियों और संगठन मौजूद होते हैं। ऐसी अदायगियों के निपटान के लिए केन्द्रीय सरकार, अपनी ओर से, राज्य सरकारों को आवश्यक उपाय करने के लिए समय-समय पर सलाह देती है।

Scheme For Famine Prone Areas in Rajasthan

1569. SHRI AJIT P. K. JOGI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether a scheme of Rs. 194 crores has been sent to the Central Government by the Government' of Rajasthan for the implementation in famine prone, areas.;

(b) if so, the details thereof and action taken thereon;